

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 173वीं बैठक दिनांक 07.09.2012 का कार्यवाही विवरण

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1	173.1	कार्यकारी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 06.07.12 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 06.07.12 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	
2	173.2	कार्यकारी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 06.07.12 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 06.07.12 के पालना रिपोर्ट की पुष्टि की गई।	
3	173.3	कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या एच-144, सी-67, आई-63, एफ-345, ई-401, एच-542, आई-216, जी-309, एफ-379, ई-568, जी-195, आई-237, ई-206 के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या एच-144, सी-67, आई-63, एफ-345, ई-401, एच-542, आई-216, जी-309, एफ-379, ई-568, जी-195, आई-237, ई-206 के नियमितीकरण के संबंध में राशि 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से जमा/जमा नही होने के कारण नियमितीकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भूनिष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावे।	उपायुक्त जोन-13
4	173.4	प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने के संबंध में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.6(1)FD/Rules/2008 Date 25.04.2012 के अनुसार राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाईज पे स्केलस) रूल्स 1998 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2012 से 127 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
5	173.5	Agenda regarding approval of tender for the Constructin of W.B.M. road in PAP area of Ring Road, Zone-14, JDA, Jaipur.	After consideration expost facto approval was granted to the sanctioning of the work to M/s Lal chand Tiwari amounting to Rs. 5,25,74,318.13 only.	Executive Engineer (RRP-II)
6	173.6	बिन्दायका तहसील जयपुर आवासीय योजना में आवास (ई.डब्ल्यू.एस.) संख्या 284 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से बिन्दायका तहसील जयपुर आवासीय योजना में आवास (ई.डब्ल्यू.एस.) संख्या 284 की राशि 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भूनिष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावे।	उपायुक्त जोन-12
7	173.7	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 776 के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 776 की राशि 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भूनिष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावे।	उपायुक्त जोन-8
8	173.8	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-280 के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-280 की राशि 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भूनिष्पादन नियमों के	उपायुक्त जोन-13

सचिव

नगर विकास प्राधिकरण
जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	
9	173.9	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-447 के नियमितीकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-447 की राशि 1 वर्ष देरी से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय Disposal of Urban Land Rules, 1974 के रूल 17(5) का ध्यान रखा जावें।	उपायुक्त जोन-13
10	173.10	भूखण्ड संख्या ए-205 सुमेल योजना के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ई.सी. की 168वीं बैठक दिनांक 11.01.2012 में भूखण्ड संख्या ए-205 पालडी मीणा के स्थान पर ए-205 सुमेल योजना संशोधित किया जाने का निर्णय लिया गया। तथा राशि 5 वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भूनिष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	उपायुक्त जोन-10
11	173.11	भूखण्ड सं. ए-14, बक्सावाला आवासीय योजना का नियमितीकरण करने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ए-14, बक्सावाला आवासीय योजना की राशि 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भूनिष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	उपायुक्त जोन-14
12	173.12	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 515 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 515 की राशि 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भूनिष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	उपायुक्त जोन-8
13	173.13	भूखण्ड संख्या पुराना 474 के स्थान पर विनियम में आवंटित नया भूखण्ड संख्या 74 सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के नियमितीकरण बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या पुराना 474 के स्थान पर विनियम में आवंटित नया भूखण्ड संख्या 74 सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना की राशि 1 वर्ष 5 माह 15 दिवस देरी से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय Disposal of Urban Land Rules, 1974 के रूल 17(5) का ध्यान रखा जावें।	उपायुक्त जोन-14
14	173.14	प्राधिकरण के वर्तमान जोन-7 एवं जोन-8 में से पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र को पृथक किया जाकर उस क्षेत्र के चार नवीन जोन (जोन-16, 17, 18, 19) का गठन किये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण के वर्तमान जोन-7 एवं जोन-8 में से पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र को पृथक किया जाकर उस क्षेत्र के चार नवीन जोन (जोन-16, 17, 18, 19) का गठन किये जाने बाबत् जारी आदेश क्रमांक प. 14(26)जविप्रा/संस्था/98 दिनांक 04.07.2012 की कार्योत्तर स्वकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
15	173.15	Agenda Regarding Approval of Tender for the work "Construction of 6 Lane High Level Bridge at Amani Shah ka Nallah on Road connecting 100 feet sector road-Vijay path junction at Shipra Path, Mansarovar, Jaipur."	After detailed discussion it was decided that first Rajasthan Housing Board should be requested to convey consent to deposit its 50% share amount for Construction of 6 lane bridge. Committee was also of the view that meanwhile A.C. (East) and DC-5 should expedite the requirements of land and estimates of its acquisition cost for the approach to the bridge.	Executive Engineer (Project-3)
16	173.16	Approval of Tender For Construction of Dwelling Units (G+2), Under Rajeev	After detailed discussion tender for construction of Dwelling units (G+2), under Rajiv Awas Yojana in "Kiron Ki Dhani" Muhana (Package-III) was approved @	Executive Engineer (Project-VI)

बबपुर विकास अधिकारी

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Awas Yojna in Kiron ki Dhani, Muhana, Sanganer Package-III.	38.41% above on G-Schedule, work-order amounting to Rs. 1646.32 lacs in favour of lowest tenderer M/s Gyarsi Lal Mohan Lal.	
17	173.17	Approval of Tender For Construction of Dwelling Units (G+2), Under Rajeev Awas Yojna in Kiron ki Dhani, Muhana, Sanganer Package-II.	After detailed discussion tender for construction of Dwelling units (G+2), under Rajiv Awas Yojana in "Kiron Ki Dhani" Muhana (Package-II) was approved @ 38.41% above on G-Schedule, work-order amounting to Rs. 1702.443 lacs in favour of lowest tenderer M/s Anurag Enterprises.	Executive Engineer (Project-VI)
18	173.18	Approval of Tender For Construction of Dwelling Units (G+2), Under Rajeev Awas Yojna in Kiron ki Dhani, Muhana, Sanganer Package-I.	After detailed discussion tender for construction of Dwelling units (G+2), under Rajiv Awas Yojana in "Kiron Ki Dhani" Muhana (Package-I) was approved @ 38.41% above on G-Schedule, work-order amounting to Rs. 1702.443 lacs in favour of lowest tenderer M/s Harinarayan Khandelwal.	Executive Engineer (Project-VI)
19	173.19	Agenda Regarding approval of tender for the "Remaining work of Package-IA, Reioction of 17 slums under JDA jurisdiction: Anand Lok-I: 636 DUs, Anand Lok-II: 384 DUs, Swapan Lok: 582 DUs Total: 1602 DUs-on Three relocation sites at Sikar Road"	Agenda put up by Executive Engineer PDC-III for approval of tender for the work of "Remaining work of Package-IA, Relocation 17 slums under JDA jurisdiction: Anand Lok-I 636 DUs, Anand Lok-II, 384 DUs, Swapan Lok: 582 DUs Total: 1602 DUs- on three relocation sites at Sikar Road" was discussed in detail. After discussion the offer of lowest bidder M/s Gulshan Rai Jain II @ 34.11% above amounting. to Rs. 62,16,60,837.00 has approved. It was also mentioned in the meeting that there is a provision of Rs. 49.00 Cr. for this work in existing A&F sanction. So in order to complete the work revision of A&F is required, for which case should be submitted in next meeting of PWC.	Executive Engineer (PDC-3)
20	173.20	Agenda Regarding approval of tender for the "Renewal of roads in Sector 19, 33, 46 & 47 in Zone-6 area, JDA, Jaipur.	After discussion the Committee approved the proposal to approve the tender M/s Madan Lal Rameshwar Lal/Lowest tenderer at 21.21% above BSR for amount of Rs. 348 lacs.	Executive Engineer -6
21	173.21	ग्राम भटेसरी तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 32/1 का अवाप्त रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि रिंग रोड से सम्बन्धित ऐसे सभी प्रकरणों को इकजाई कर अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) द्वारा एक साथ प्रस्तुत कर ऐसे सभी प्रकरणों को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) उपायुक्त जोन-10
22	173.22	श्री झूथालाल कुमावत (सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी) के चिकित्सा व्यय के भुगतान की सक्षम स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री झूथालाल कुमावत (सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी) के चिकित्सा व्यय के बिलों की कुल राशि 9,51,773/- में से रुपये 9,06,756/- का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
23	173.23	Extension of Time Period for Rate Contract for construction of Hand Pump in JDA area Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार वर्तमान Rate Contract की समयावधि को पुरानी दरों पर 12 माह बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer (PHE-1)
24	173.24	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-15, खुशी विहार योजना के नियमितीकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-15, खुशी विहार योजना की राशि 1 वर्ष 11 माह 18 दिवस देरी से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया तथा आदेश क्रमांक डी-2141 दिनांक 08.08.2011 को निरस्त करते हुये नजराना राशि विलम्ब से जमा होने के कारण नियमानुसार ब्याज व शास्ति जमा होने से भूखण्ड को नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय Disposal of Urban Land Rules, 1974 के रूल 17(5) का ध्यान रखा जावे।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति नि.)
25	173.25	आवासीय भूखण्ड संख्या 603, रोहिणी नगर फेज प्रथम योजना के नियमितीकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवासीय भूखण्ड संख्या 603, रोहिणी नगर फेज प्रथम योजना की राशि 1 वर्ष देरी से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया तथा नजराना राशि विलम्ब से जमा होने के कारण नियमानुसार ब्याज व शास्ति ली जाकर भूखण्ड को नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। नियमन	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति नि.)

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	
		करते समय Disposal of Urban Land Rules, 1974 के रूल 17(5) का ध्यान रखा जावे।		
26	173.26	आवासीय भूखण्ड संख्या ए-30(कॉनर), राजभवन योजना के नियमितीकरण बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवासीय भूखण्ड संख्या ए-30(कॉनर), राजभवन योजना की राशि 1 वर्ष 7 माह देरी से जमा होने के कारण नियमितीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय Disposal of Urban Land Rules, 1974 के रूल 17(5) का ध्यान रखा जावे।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति नि.)
27	173.27	श्री रमेश राजपूत क्षेत्रिय सहायक द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये गये इलाज कि स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री रमेश राजपूत क्षेत्रिय सहायक द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये गये इलाज पर व्यय हुई राशि 75,624/- रुपये के पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
28	173.28	Improvement of main road from Sanganer Flyover to Sitapura Flyover in Zone-14 JDA Jaipur.	The Case regarding approval of tender for Improvement of main road from Sanganer flyover to Sitapura flyover in Zone-14 was discussed in the meeting. After discussion it was decided to approve the tender on rate @ 26.89% above & H schedule rate 2700 P.Cum. in favor of M/s Gawar const. Ltd.	Executive Engineer-14
29	173.29	पृथ्वीराज नगर योजना हेतु पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव स्वीकृत पदों के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12.07.2012 एवं अतिरिक्त 59 पदों के सृजन हेतु राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्तावों की कार्योत्तर पृष्टि बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पृथ्वीराज नगर योजना हेतु पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव स्वीकृत पदों के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12.07.2012 एवं अतिरिक्त 59 पदों के सृजन हेतु राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्तावों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
30	173.30	सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना की आवंटन दर निर्धारित करने बाबत्।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में डेयरी योजनान्तर्गत पुनर्वास किये जाने वाले भूखण्डों की आवंटन दर पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। प्रकरणान्तर्गत पूर्व में 250/- प्रति वर्ग गज पर आवंटन किया गया था। तत्समय जोन की सामान्य आरक्षित दर 1650/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित थी एवं आवंटन दर निर्धारण हेतु आरक्षित दर को आधार नहीं बनाया गया था। प्रकरणान्तर्गत पूर्व में इन आवंटियों को EC द्वारा योजना की आरक्षित दर रूपए 2500/- वर्गमीटर को आधार मान कर रूपए 2500/- प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटन का निर्णय किया गया। उक्त आरक्षित दर योजना की सामान्य आरक्षित दर है एवं इसमें योजना के विकास की लागत एवं अन्य व्यय सम्मिलित नहीं है। अतः पुनर्वास हेतु भूखण्ड आवंटन के वक्त (फरवरी/मार्च, 2011) में विकास लागत की गणना अधिशाषी अभियन्ता जोन-14/पीएचई प्रथम/विद्युत प्रथम से करवाई जाने पर जविप्रा की किसी भी योजना की सामान्य विकास लागत 1100/- (एक हजार एक सौ रूपए) प्रति वर्गमीटर के लगभग आती है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में समिति द्वारा आवंटन दर पर पुनर्विचार कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि "चूंकि उक्त योजना नगर निगम क्षेत्र से डेयरी व्यवसाय को स्थानान्तरित करने बाबत पुनर्वास योजना है, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जेडीए द्वारा विकास की लागत 1100/- प्रति वर्गमीटर पर आवंटन किया जाना उचित है। तथा उक्त डेयरी व्यवसाय को नगर निगम क्षेत्र में अविलम्ब बन्द कर निर्धारित समय 6 माह में शिफ्ट किया जावेगा। अन्यथा उक्त आवंटन को निरस्त माना जावेगा। उक्त आशय का समस्त आवंटियों से शपथ-पत्र लेकर पुनः	उपायुक्त (जोन-14)

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			आवंटन पत्र जारी किया जावे।"	
31	173.31	2 वर्ष की देरी से जमा हुए आवंटन राशि के नियमन बाबत्।	बैठक में विचार विमर्श पश्चात् देरी से जमा करवाए गए आवंटन राशि को नियमितिकरण हेतु प्राप्त हो रहे प्रकरणों के अत्यधिक संख्या को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमें नजराना राशि अत्यधिक देरी से जमा किए जाते हैं तथा उसके पश्चात् शाशित/पैनल्टी लेकर नियमन के निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, उन प्रकरणों में दो वर्ष के अधिक समय की देरी से राशि जमा के संबंध में नियमन करने बाबत् एक निश्चित समय-सीमा तय करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाए।	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 173वीं बैठक दिनांक 07.09.2012 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री कुलदीप रांका	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती शुचि शर्मा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री जे.बी. जाखड	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्रीमती वीनू नहलानी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री रामावतार मीणा	अति. जिला कलक्टर, जयपुर (पूर्व)	कलेक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री ए. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता सिटी	पी.डब्ल्यू.डी, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री भगवान सहाय	अधिक्षापी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री एम.डी.	अधीक्षण अभियन्ता	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12	श्री पुखराज सैन	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री संजय जैन	उपायुक्त (जोन-13)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त (जोन-14)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री हरीसिंह मीणा	उपायुक्त (जोन-15)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री नवलकिशोर बैरवा	अधिक्षापी अधिकारी (जोन-12)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्रीमती उषा जैन	जन-सम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	



सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (ऐसे.एम)/2012/डी-790
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 05/10/12

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर